न्यायालय जिला कलक्टर एवं प्रथम अपीलेट अधिकारी

(सूचना अधिकार अधिनियम 2005)

पीठासीन अधिकारी शुचि त्यागी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 63/**2018** **अपील सू.प्र.**

उनवान

श्री रामेश्वरलाल पिता रामा धाकड निवासी कल्याणपुरा तहसील बनेडागढ जिला भीलवाडा **बनाम** लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी बनेडा जिला भीलवाड़ा

––अपीलार्थी **––प्रत्यर्थी**

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) अधिनियम 2005

उपस्थित :– अपीलार्थी अनुपस्थित
प्रत्यर्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधि

निर्णय

दिनांक : 23 .08.2018

अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी बनेडा जिला भीलवाडा के विरूद्ध दिनांक 02.08.2018 को जरिये डाक प्राप्त होकर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी ने विहित अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत निर्धारित शुल्क का पोस्टल ऑर्डर नं0 40 एफ 925441 राशि 10.00 रू0 के साथ एक आवेदन दिनांक 13.06.2018 को लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी बनेडा जिला भीलवाडा को जरिये डाक प्रेषित किया गया। किन्तु निर्धारित समय सीमा व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराई। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना हेतु प्रस्तुत आवेदन दिनांक 13.06.2018 की प्रति अपील मेमो के साथ प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत अपील इस कार्यालय में दिनांक 06.08.2018 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रत्यर्थी को सूचना पत्र जारी किया गया तथा प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी बनेडा जिला भीलवाडा के पत्रांक 681 दिनांक 21.08.2018 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया। अपीलार्थी को सूचना आवेदन दिनांक 13.06.2018 से 30 दिवस में यानी 12.07.2018 तक उपलब्ध कराई जानी थी लेकिन प्रत्यर्थी द्वारा समयावधि के पश्चात दिनांक 21.08.2018 से अपीलार्थी को सूचना भेजी गई। इस प्रकार प्रत्यर्थी द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की उल्लंघना की गई है। प्रत्यर्थी भविष्य में सूचना समय पर भेजने की सुनिश्चितता करें।

अतएव अपीलार्थी को प्रत्यर्थी द्वारा वांछित सूचना प्रेषित कर दिए जाने से अपील प्रकरण में कार्यवाही समाप्त की जाती है।

आदेश आज दिनांक 23.08.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(शुचि त्यागी)
जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपीलेट अधिकारी
भीलवाड़ा